बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में से एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी, जिसके आधार पर M/s Subhansh Technolozy को KYP code 06030029 आवंटित किया गया था।

शुभांस टेक्नोलॉजी KYP code 06030029 के संबंध में जिला कौशल प्रबंधक से बिना अनुमति के स्थल परिवर्तन से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–1624 दिनांक–22.11.2018 के द्वारा संस्था के नामांकन को अस्थायी रूप से अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण पूछा गया था। पुनः दिनांक–21.05.2019 को जिला कौशल प्रबंधक के द्वारा केन्द्र के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि केन्द्र अपने नये स्थल पर कार्यरत नहीं है। जिसके उपरान्त दिनांक–21.05.2019 को पुनः संस्था के नामांकन को अस्थायी तौर पर अवरूद्ध करते हुए बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा संस्था से स्पष्टीकरण पूछा गया था।

पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में संस्था के द्वारा अपना जवाब बिहार कौशल विकास मिशन को उपलब्ध नहीं कराया गया है। फलस्वरुप संस्था को स्मार पत्र दिया गया। संस्था को स्मार पत्र दिये जाने के बावजूद संस्था के द्वारा अपना जवाब बिहार कौशल विकास मिशन को उपलब्ध नहीं कराया गया।

संस्था के उक्त कृत से स्वतः स्पष्ट है कि संस्था को इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है।

अतएव शुभांस टेक्नोलॉजी को उन्हें आवंटित SDC KYP code 06030029 जिला–कैमुर का आवंटन स्थायी तौर पर रद्द किये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

(चन्द्रशेखर सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–BSDM/SDM–18/2017(खण्ड–1)–725 पटना, दिनांक– 19/10/2020

प्रतिलिपि– **(1)** M/s शुभांस टेक्नोलॉजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(2) संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी/ जिला कौशल प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(3) मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(4) Project Director, MKCL/Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(5) मिशन प्रबंधक(वित्त एवं लेखा)/ सहायक निदेशक, नियोजन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(6) प्रधान सचिव सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित। ।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।